न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 86 / 2022

शीर्षक

1. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी छाजूलाल
2. श्रीमती आंची देवी उर्फ नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासी ग्राम बाडीगरों की ढाणी ग्राम पंचायत उदावाला तहसील तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण,वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मिन्टू देवी पत्नी शंकरलाल
2. सुन्दर पुत्र बल्लू

समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

–गैर प्रार्थीगण, प्रतिवादीगण

दावा–नाम दुरूस्ती एवं भूमि आवेदन–भूमि अदला–बदली **(Exchange)** अन्तर्गत धारा 49 आर. टी. एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 15/2/2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा 3007 रकबा 0.20 है0,चाही ए हिस्सा (1/5+1/10)=3/10 ग्राम बाडीगरों की ढाणी,(2) 2827/2 रकबा 0.21 चाही ए है कुल किता 2 रकबा 0.27 है0 वाकै ग्राम उदावाला, पटवार हल्का उदावाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0) है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2935 रकबा 0.27 है0, चाही ए वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी पटवार हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर है। उक्त भूमि खसरा 2936 रकबा 0.10 है0 हिस्सा 1/5, 2947 रकबा 0.13 है0 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

2. उक्त भूमि का खसरा नम्बर 2935 रकबा 0.27 है0 चाही ए वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी पटवार हल्का उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 2936 रकबा 0.10 है0 हिस्सा 1/5 रकबा 0.13 है0 हिस्सा 2/5, 2946 रकबा 0.30 है0 हिस्सा 1/10 कुल किता 3 रकबा 0.53 है0 ग्राम बाडीगरों की ढाणी मुताबिक हिस्सा है जो वादीगण के कमशः पति छाजूराम व जगदीश प्रसाद पुत्रान बिरदू के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज है। उक्त जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/5 तदनुसार भूमि 0.04 है0 तथा खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 में 2/3 हिस्सा तदनुसार 0.14 है0 कुल 0.04+0.14 है0 कुल 0.18 है0 तथा वादी संख्या 2 स का खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 मे हिस्सा 1/10 तदनुसार रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 मे 1/3 हिस्सा तदनुसार 0.07 है0 इस प्रकार वादी संख्या 2 का कुल रकबा 0.02+0.07 कुल रकबा 0.09 है0 होने से वादीगण का कुल हिस्सा 0.027 है0 है जो वादी संख्या 1 का हिस्सा 2/3 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 भाग है। आराजी खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 मे प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/10 भाग है तदनुसार 0.06 है भूमि आती है। यह है कि खसरा नम्बरान 2936, 2946, 2947 वादीगण के पति छाजूराम व जगदीश के नाम है जिनका इस भूमि में कमशः 1/5, 1/10, 2/5 है, उक्त तीनों खसरा नम्बरान की भूमि उक्त जिमन नम्बर 2 में वर्णित भूमि के लगती हुई है तथा वादीगण अपने–अपने पतियों कमशः छाजूराम व जगदीश के साथ मिलकर अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर सामलाती रूप मे ही काश्त करती आ रही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में पुत्रवधू व श्वसुर है जो एक साथ एक ही परिवार में शामिल में निवास करते आ रहे है एवं शामिल में ही अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करते है। वादीगण ने अपनी भूमि की चकबन्दी के लिहाज से प्रतिवादीगण से आपसी बातचीत कर जिमन नम्बर 1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि का प्रतिवादीगण की जिमन नम्बर 2 में वर्णित खातेदारी भूमि से आपस मे अदला–बदली**(Exchange)** विनिमय कर लिया है इससे वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3007/0.20 है मे वादीगण की 0.06 है0 भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 मे हिस्सा 3/10 पहले से ही खातेदारी भूमि 0.06 है0 है, विनिमय से खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा रकबा 0.12 है0 हो गया है तथा विनिमय में शेष 0.21 है0 भूमि प्रतिवादीगण का वादीगण के खसरा नम्बर 2827/2 रकबा 0.21 है0 मे से बहिस्सा बराबर–बराबर 1/2 – 1/2 का पालन करते हुये प्राप्त हुई है, इसके बदले मे वादीगण को प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 वादी संख्या 1 का बहिस्सा 2/3 तथा वादी संख्या 2 बहिस्सा 1/3 प्राप्त हुई है, दोनों पक्षों की अदला–बदली की गई भूमि एक ही श्रेणी व समानप मूल्य व उपजाउपन स्तर की है। वादीगण को प्राप्त भूमि उनके पतियों के नाम की उनकी उक्त जिमन नम्बर 3 व 6 में वर्णित भूमि के साथ मिलकर एकीकरण हो गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के साथ वादीगण की खसरा नम्बर 3007 की

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

).06 है0 भूमि खसरा नम्बर 3007 की ही प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के साथ मिलकर एकीकृत हो गई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपस में अदला–बदली की गई भूमि की सारणी निम्नानुसार है–

नाम खातेदार	अदला–बदली / विनिमय (Exchange) में दी गई भूमि	अदला–बदली / विनिमय (Exchange) में प्राप्त भूमि
(1)श्रीमती रामेश्वरी देवी वादी संख्या 1	(1)खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 का हिस्सा 1/5 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 के हिस्सा 2/3 भाग की भूमि	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 का वादी संख्या 1 को हिस्सा 2/3 एवं
(2) श्रीमती आंची देवी उर्फ नन्छी देवी वादी संख्या 2	(1) खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 की हिस्सा 1/10 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 के हिस्सा 1/3 भाग की भूमि	वादी संख्या 2 को हिस्सा 1/3 भाग प्राप्त हुआ
(1) श्रीमती मिन्टू देवी प्रतिवादी संख्या 1	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि	(1)खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 की हिस्सा 3/10 व खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 के हिस्सा 5/14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ
(2) सुन्दर प्रतिवादी संख्या 2		(2) खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 के हिस्सा 9/14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ।

वादी संख्या 2 को घर पर आंची देवी एवं नन्छी देवी दोनो ही नामों से जाना जाता है इस कारण परिचय पत्र एवं भूमि का विक्रय पत्र दर्ज कराते समय गलती से क्रय पत्र में नन्छी देवी ही नाम अंकित करा दिया गया तथा आधार कार्ड, भामाशाह जन आधारकार्ड एवं बेटे के शिक्षा के प्रमाण पत्रों में आंची देवी अंकित करा दिया जिससे दोनो जगह अलग–अलग नाम दर्ज हो जाने से नामों में अन्तर आ गया है तथा हमेशा दोनो नाम रहने से सन्देह की स्थिति पैदा होती रहेगी तथा पुत्र के शिक्षा प्रमाण पत्रों में अब नाम परिवर्तन होने की गुंजाईश नही है।

आंची देवी उर्फ नन्छी देवी को राजस्व रिकार्ड एवं अन्य पहचान दस्तावेजों में एक ही नाम घोषित कराया जाना न्यायसंगत है व वैधानिक है जिससे सन्देह की स्थिति पैदा नही हो। वादी संख्या 2 का नाम आंची देवी घोषित कराये जाने योग्य है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त सारणी में वर्णितानुसार भूमि की अदला–बदली(Exchange) विनिमय दिनांक 11.07.2022 कर ली है।

प्रार्थना पत्र/ वाद पत्र के उक्त जिमन नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि के खातेदारान पक्षकारान समान श्रेणी के है एवं भूमि वादग्रस्त समान श्रेणी की व समान श्रेणी खातेदारान की है। प्रार्थीगण/वादीगण एवं गैरप्रार्थी/प्रतिवादीगण ने उक्त जिमन नम्बर 1 व 2 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि की उक्त जिमन नम्बर 8 में वर्णितानुसार भूमि का यह अदला–बदली(Exchange) विनिमय दिनांक 11.07.2022 को भूमि की एकीकरण कृषि सुविधा, जोत का विभाजन कम करने, भूमि की जोत का सरलीकरण करने की गरज से आपस में अदला–बदली(Exchange) विनिमय कर लिया है। विनिमय से आंवटन हेतु कारण पैदा होकर बिना किसी देरी के आवेदन पत्र पेश है तथा नाम दुरूस्ती घोषणा दावा पेश है

8. अन्त में निवेदन किया कि उक्त सारणी में वर्णित अनुसार विनिमय स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री फरमाया जावे।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर विनिमय को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा वादीगण की ओर से पेश शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में भी उक्त विनिमय राजीनामा अनुसार होना तथा मौके पर मुताबिक विनिमय के काबिज होने से दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

10. वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पेश राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विनिमय की जाने वाली भूमि समान होने से तथा पक्षकारान में राजीनामा होने से मुताबिक राजीनामा विनिमय स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आराजी खसरा नम्बर 3007 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2827/2 रकबा 0.21 है0 मे वादीया संख्या 2 नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद यादव के स्थान पर आची देवी उर्फ नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद यादव दर्ज किये जाने के आदेश के साथ निम्न सारणी अनुसार विनिमय स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

i.	नाम खातेदार	अदला-बदली / विनिमय (Exchange) में दी गई भूमि	अदला-बदली / विनिमय (Exchange) में प्राप्त भूमि
	(1)श्रीमती रामेश्वरी देवी वादी संख्या 1	(1)खसरा नम्बर 3007 / 0.20 है0 का हिस्सा 1 / 5 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827 / 2 / 0.21 है0 के हिस्सा 2 / 3 भाग की भूमि	खसरा नम्बर 2935 / 0.27 है0 का वादी संख्या 1 को हिस्सा 2 / 3 एवं
	(2) श्रीमती आंची देवी उर्फ नन्छी देवी वादी संख्या 2	(1) खसरा नम्बर 3007 / 0.20 है0 की हिस्सा 1 / 10 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827 / 2 / 0.21 है0 के हिस्सा 1 / 3 भाग की भूमि	खसरा नम्बर 2935 / 0.27 है0 का वादी संख्या 2 को हिस्सा 1 / 3 भाग प्राप्त हुआ
	(1) श्रीमती मिन्टू देवी प्रतिवादी संख्या 1	खसरा नम्बर 2935 / 0.27 है0 में 1 / 2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि	(1) खसरा नम्बर 3007 / 0.20 है0 की हिस्सा 3 / 10 व खसरा नम्बर 2827 / 2 / 0.21 है0 के हिस्सा 5 / 14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ
	2) सुन्दर प्रतिवादी संख्या 2	खसरा नम्बर 2935 / 0.27 है0 में 1 / 2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि	(2) खसरा नम्बर 2827 / 2 / 0.21 है0 के हिस्सा 9 / 14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ।

ı. राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 86/2022

शीर्षक

1. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी छाजूलाल
2. श्रीमती आंची देवी उर्फ नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासी ग्राम बाडीगरों की ढाणी ग्राम पंचायत उदावाला तहसील तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण,वादीगण

बनाम

1. श्रीमती मिन्टू देवी पत्नी शंकरलाल
2. सुन्दर पुत्र बल्लू

} समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

–गैर प्रार्थीगण, प्रतिवादीगण

दावा–नाम दुरूस्ती एवं भूमि आवेदन–भूमि अदला–बदली (Exchange) अन्तर्गत धारा 49 आर. टी. एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 15/2/2023

अतः आराजी खसरा नम्बर 3007 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2827/2 रकबा 0.21 है0 मे वादीया संख्या 2 नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद यादव के स्थान पर आंची देवी उर्फ नन्छी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद यादव दर्ज किये जाने के आदेश के साथ निम्न सारणी अनुसार विनिमय स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है।

नाम खातेदार	अदला–बदली/विनिमय (Exchange) में दी गई भूमि	अदला–बदली/विनिमय (Exchange) में प्राप्त भूमि
(1)श्रीमती रामेश्वरी देवी वादी संख्या 1	(1)खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 का हिस्सा 1/5 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827/2/ 0.21 है0 के हिस्सा 2/3 भाग की भूमि	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 का वादी संख्या 1 को हिस्सा 2/3 एवं
(2) श्रीमती आंची देवी उर्फ नन्छी देवी वादी संख्या 2	(1) खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 की हिस्सा 1/10 की भूमि (2) खसरा नम्बर 2827/2/ 0.21 है0 के हिस्सा 1/3 भाग की भूमि	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 का वादी संख्या 2 को हिस्सा 1/3 भाग प्राप्त हुआ
(1) श्रीमती मिन्टू देवी प्रतिवादी संख्या 1	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 में 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि	(1) खसरा नम्बर 3007/0.20 है0 की हिस्सा 3/10 व खसरा नम्बर 2827/2/0.21 है0 के हिस्सा 5/14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ
2) सुन्दर प्रतिवादी संख्या 2	खसरा नम्बर 2935/0.27 है0 में 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि	(2) खसरा नम्बर 2827/2/ 0.21 है0 के हिस्सा 9/14 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ।

12. राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	